

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी: राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 222/2020 अपील (GCMS/2020/00233)
पंजीयन दिनांक - 05.05.2020
निर्णय दिनांक - 06.12.2021

1. श्री राजू उर्फ राजिया पिता चतरा गोरणा, निवासी खाखरा खेडा, तहसील झाडोल, जिला उदयपुर
2. श्री बदा पिता चतरा गोरणा, निवासी खाखरा खेडा, तहसील झाडोल, जिला उदयपुर
3. श्री दीता पिता मेघा गोरणा, निवासी खाखरा खेडा, तहसील झाडोल, जिला उदयपुर
4. श्री काउवा पिता चतरा गोरणा, निवासी खाखरा खेडा, तहसील झाडोल, जिला उदयपुर
5. श्री अन्ना पिता चतरा गोरणा, निवासी खाखरा खेडा, तहसील झाडोल, जिला उदयपुर
6. श्री नक्का पिता चतरा गोरणा, निवासी खाखरा खेडा, तहसील झाडोल, जिला उदयपुर
7. श्रीमती हमेरी पत्नि रूपलाल गोरणा, निवासी खाखरा खेडा, तह. झाडोल, जिला उदयपुर

-अपीलार्थी

बनाम

1. श्री मोहन पिता अम्बावा गमेती, निवासी खाखरा खेडा, तहसील झाडोल, जिला उदयपुर
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार झाडोल, जिला उदयपुर

-प्रत्यर्थी

उपस्थिति दौराने बहस:-

1. श्री संजय सोनी - वकील अपीलार्थी
2. श्री मनीष शर्मा - वकील प्रत्यर्थी-1
3. राजकीय परोकार श्री मुरलीधर पालीवाल - वकील प्रत्यर्थी-2

प्रकरण संख्या-08/2018 (प्रार्थना पत्र आवंटन निरस्ती), बउनवानी श्री राजू उर्फ राजिया व अन्य बनाम श्री मोहन व अन्य में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.02.2020 के विरुद्ध अपील अन्तर्गत धारा-75 भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 06.12.2021

उक्त अपील अपीलान्त द्वारा न्यायालय अति. जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या-08/2018 (प्रार्थना पत्र आवंटन निरस्ती), बउनवानी श्री राजू उर्फ राजिया व अन्य बनाम श्री मोहन व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 26.02.2020 के विरुद्ध पेश की गई है।

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि-

- वर्तमान अपील के अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत किया कि मौजा खाखरा खेडा, तहसील झाडोल की साबिक आराजी संख्या 1 में रकबा 05 बीघा का आवंटन प्रत्यर्थी-1 श्री मोहन को नियम विरुद्ध किया गया है, क्योंकि वह भूमिहीन काश्तकार नहीं है। उसके संयुक्त परिवार के नाम से 27½ बीघा 03 बिस्वा भूमि श्री अम्बावा पिता नाथा के नाम खातेदार हक से दर्ज रेकॉर्ड है एवं उक्त

आराजी के वर्तमान नम्बर 330 है। साबिक आराजी संख्या 1 के वर्तमान आराजी संख्या 330 पर प्रार्थीगण का कब्जा उनके पिता के समय से निरन्तर चला आ रहा है एवं प्रार्थीगण ही उक्त भूमि का उपयोग एवं उपभोग कर रहे हैं। आवंटन अधिकारी द्वारा वस्तु स्थिति की जांच किये बिना दिनांक 09.03.1984 को प्रत्यर्थी-1 के पक्ष में कथित आवंटन आदेश जारी कर दिया। उक्त आराजी प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि के मध्य स्थित है। प्रत्यर्थी-1 उक्त भूमि से दूर निवास करते हैं। आवंटन से पूर्व अथवा आवंटन के पश्चात् प्रत्यर्थी-1 या उनके पूर्वाधिकारियों का कब्जा काशत नहीं रहा है। आवंटन से पूर्व कोई प्रोक्लेमेशन जारी नहीं हुआ है एवं मौका जांच भी नहीं की गयी है। कथित आवेदन में भी कई कॉलम खाली छुटे हुये हैं एवं विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना उक्त भूमि का आवंटन प्रत्यर्थी-1 को किया गया है। आवंटन उपरान्त आवंटन शर्तों की पालना भी प्रत्यर्थी-1 द्वारा नहीं की गयी है। प्रार्थीगण को पुराना कब्जा होने के सम्बन्ध में धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 के नोटिस भी जारी किये गये हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रत्यर्थी-1 के पक्ष में किये गये आवंटन दिनांक 09.03.1984 को खारिज किया जावे।

- न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 26.02.2020 से उक्त प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए निर्णय पारित किया कि “पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र, विपक्षी संख्या 1 के जवाब, तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट, आवंटन पत्रावली, न्यायिक दृष्टांतों, आदि का अवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गम्भीरता से मनन किया। उपखण्ड अधिकारी झाडोल से प्राप्त आवंटन पत्रावली संख्या 511/1984 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विपक्षी संख्या 1 द्वारा मौजा खाखरा खेडा, तहसील झाडोल की साबिक आराजी संख्या 1 में से आवंटन हेतु आवेदन करने पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट उपरान्त आवंटन कमेटी की राय के आधार पर विपक्षी संख्या 1 के नाम कथित आवंटन किया गया है। आवंटन कमेटी के कोरम पर तहसीलदार, सरपंच, सदस्य के हस्ताक्षर मौजूद हो अध्यक्ष के रूप में उपखण्ड अधिकारी झाडोल के हस्ताक्षर उपलब्ध है। आवंटन उपरान्त विधिवत कब्जा सुपुर्द किया जाना, आवंटन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पास पहले से भूमि उपलब्ध होने का उल्लेख किया है, किन्तु आवंटन विपक्षी संख्या 1 के पास आवंटन नियमों में निर्धारित सीमा से अधिक भूमि उपलब्ध हो अथवा आवंटन नियमों में निर्धारित सीमा अनुसार भूमिहीन की परिभाषा में विपक्षी संख्या 1 न आता हो, ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा धारा 91 के नोटिस पेश किये हैं, किन्तु दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उक्त नोटिस आवंटन से पूर्व के नहीं है। मामले में यह भी स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में विवादित आराजी पर आवंटन के पूर्व से स्वयं का कब्जा होना अवश्य अवगत कराया है, किन्तु प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा इसकी पुष्टि हेतु न तो कोई पुरानी राजस्व रेकॉर्ड इत्यादि सलंगन किया है और न ही धारा 91 के नोटिस आदि सलंगन किये हैं, जिससे यह साबित हो सके की प्रार्थीगण का उक्त विवादित भूमि पर पुराना कब्जा विपक्षी सं. 1 को किये गये आवंटन के पूर्व से चला आ रहा हो। यदि प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर पुराना कब्जा होता तो उस पर अवश्य ही धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही की जाकर पेनाल्टी आरोपित की जाती, जिसकी रसीदे प्रार्थीगण के पास उपलब्ध होती, जो प्रार्थीगण का कब्जा साबित करती। प्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता पूर्ववर्ती कब्जे के

संबंध में धारा 91, भू राजस्व अधिनियम 1956 की रसीदे प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं। विपक्षी संख्या 1 उक्त भूमि पर रेकर्डेड खातेदार है एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के पश्चात् 14 (4) की कार्यवाही की जाना न्याय संगत प्रतीत नहीं होती है। उक्त आवंटन में कोई मिसरिप्रजेन्टेशन हुआ हो, ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं, आवंटन प्रार्थना पत्र में कोई तथ्य छुपाये गये, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है। इस प्रकार समस्त तथ्यों पर विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य पाया जाता है। विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण में चस्पा होते हैं।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4), कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है एवं मौजा खाखरा खेडा, तहसील झाड़ोल की साबिक आराजी संख्या 1 में से रकबा 05 बीघा भूमि पर उपखण्ड अधिकारी झाड़ोल द्वारा मिसल संख्या 511/1984 से किया गया आवंटन यथावत रखा जाता है। प्रार्थीगण यदि चाहे तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम न्यायालय में चाराजोही के लिये स्वतंत्र है।”

अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.02.2020 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर में अपील दिनांक 18.03.2020 को ससमय प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत अपील दिनांक 05.05.2020 को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेन्ट्स को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील पक्षकारान उपस्थित, जिनकी बहस दिनांक 29.11.2021 को सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि मौजा खाखरा खेडा, तहसील झाड़ोल की साबिक आराजी संख्या 1 में रकबा 05 बीघा का आवंटन प्रत्यर्थी-1 श्री मोहन को नियम विरुद्ध किया गया है, क्योंकि वह भूमिहीन काश्तकार नहीं है। उसके संयुक्त परिवार के नाम से 27½ बीघा 03 बिस्वा भूमि श्री अम्बावा पिता नाथा के नाम खातेदार हक से दर्ज रेकर्ड है एवं उक्त आराजी के वर्तमान नम्बर 330 है। साबिक आराजी संख्या 1 के वर्तमान आराजी संख्या 330 पर प्रार्थीगण का कब्जा उनके पिता के समय से निरन्तर चला आ रहा है एवं प्रार्थीगण ही उक्त भूमि का उपयोग एवं उपभोग कर रहे हैं। आवंटन अधिकारी द्वारा वस्तु स्थिति की जांच किये बिना दिनांक 09.03.1984 को प्रत्यर्थी-1 के पक्ष में कथित आवंटन आदेश जारी कर दिया। उक्त आराजी प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि के मध्य स्थित है। प्रत्यर्थी-1 उक्त भूमि से दूर निवास करते हैं। आवंटन से पूर्व अथवा आवंटन के पश्चात् प्रत्यर्थी-1 या उनके पूर्वाधिकारियों का कब्जा काश्त नहीं रहा है। आवंटन से पूर्व कोई प्रोक्लेमेशन जारी नहीं हुआ है एवं मौका जांच भी नहीं की गयी है। कथित आवेदन में भी कई कॉलम खाली छुटे हुये हैं एवं विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना उक्त भूमि का आवंटन प्रत्यर्थी-1 को किया गया है। आवंटन उपरान्त आवंटन शर्तों की पालना भी प्रत्यर्थी-1 द्वारा नहीं की गयी है। प्रार्थीगण को पुराना कब्जा होने के सम्बन्ध में धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 के नोटिस भी जारी किये गये हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रत्यर्थी-1 के पक्ष में किये गये आवंटन दिनांक 09.03.1984 को निरस्त किये जाने बाबत अधीनस्थ न्यायालय समक्ष निवेदन किया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के विपरित निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का न तो

देखा गया, न ही उनका विवेचन किया गया। आवंटित भूमि पर एकमात्र अपीलार्थीगण का उनके पिता के समय से आज तक कब्जा लगातार चला आ रहा है। मौके पर अपीलार्थी की फसल खड़ी होने के फोटोग्राफ्स अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गये थे। मौका रिपोर्ट में भी प्रत्यर्थी-1 का कब्जा नहीं पाया गया। रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा अपने कब्जे के समर्थन में कोई दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जिसे अनदेखा किया गया। ऐसे में आवंटन विधि विरुद्ध था जिसे निरस्त किये जाने के क्रम में अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जावें। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2015(2) पेज 790, आरआरडी 1998 पेज 790, आरआरडी 2002 पेज 1, आरआरटी 2018-19 (Supp.) पेज 338, एआईआर 2002(SC) पेज 1165 प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस के खण्डन में अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 द्वारा अपनी बहस में प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत है, सभी तथ्यों की पूर्णतया जांच उपरान्त निर्णय पारित किया गया। प्रत्यर्थी-1 द्वारा उक्त आराजी पर आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना करने से उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के उपरान्त आवंटन निरस्ती की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। आवंटन निरस्ती का प्रार्थना पत्र आवंटन के 34 वर्षों बाद प्रस्तुत किया गया और आवंटन के 34 वर्षों उपरान्त आवंटन निरस्त किया जाना कतई उचित नहीं है। आवंटन के उपरान्त अपीलार्थीगण द्वारा पिछले 34 वर्षों में कोई उजर प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त भूमि पर अपीलार्थीगण का कभी कब्जा नहीं रहा है। आवंटन उपरान्त प्रत्यर्थीगण को नियमानुसार कब्जा सिपुर्द कर दिया जिसके उपरान्त वह काबिज चला आ रहा है। ऐसे में अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा जावें। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2016(2) आरआरटी 769 एवं 2011(1) आरआरटी 383 प्रस्तुत किये।

विद्वान राजकीय परोकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का समर्थन करते हुए अपील अपीलार्थी खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का गहनतापूर्वक अवलोकन एवं मूल्यांकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया।

सर्वप्रथम आवंटन को निरस्त करने का क्या नियम है? यह जांचने के लिये हमें राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोग हेतु भूमि आवंटन) नियम-1970 का नियम-14(4) का अवलोकन करना होगा। नियम-14(4) निम्न प्रकार है :-

“उपखण्ड अधिकारी या (तहसीलदार) द्वारा या नियम-21 द्वारा निरसित नियमों के अधीन तहसीलदार द्वारा किये गये किसी भी आवंटन को या तो स्ववप्रेरणा से या किसी व्यक्ति के आवेदन पर निरस्त करने की कलेक्टर को शक्ति होगी, यदि आवंटन कपट या दुर्व्यपदेशन द्वारा प्राप्त किया गया है, या नियमों के विरुद्ध किया हो अथवा यदि आवंटिती ने आवंटन की शर्तों में से किसी भी शर्त को भंग किया हो।

परन्तु किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला ऐसा कोई भी आदेश ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित नहीं किया जायेगा।”

उक्त नियम के अनुसार कलक्टर (जिसमें अतिरिक्त जिला कलेक्टर भी सम्मिलित है) भूमि का आवंटन निरस्त कर सकता है बशर्ते वह धोखा (फ्राड), गलत बयानी (Mis representation) अथवा नियमों के विरुद्ध किया गया हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रत्यर्थी-1 श्री मोहन द्वारा आवंटन आवेदन पत्र दिनांक 09.03.1984 जिसमें पटवारी रिपोर्ट अनुसार प्रत्यर्थी-1 मोहन के संयुक्त परिवार के नाम से 27½ बीघा 03 बिस्वा भूमि श्री अम्बावा पिता नाथा के नाम खातेदार हक से दर्ज रेकॉर्ड है। साथ ही आवेदन पत्र के अन्य कॉलम प्रत्यर्थी-1 द्वारा पूर्ण नहीं किये गये हैं। यह प्रकट करता है कि वक्त आवंटन प्रत्यर्थी-1 श्री मोहन के संयुक्त परिवार के पास पर्याप्त भूमि उपलब्ध थी और वह भूमिहीन किसान नहीं है। प्रत्यर्थी-1 श्री मोहन द्वारा संयुक्त परिवार के नाम से धारित भूमि कोई उल्लेख अपने प्रार्थना पत्र में नहीं किया, इस प्रकार प्रत्यर्थी-1 श्री मोहन द्वारा विवादित आराजी का आवंटन तथ्यों को जानबुझकर (intentionally) अपने हक में कराया जबकि बरवक्त आवंटन प्रत्यर्थी-1 श्री मोहन भूमिहीन कृषक नहीं था। आवंटन के हिस्से में संयुक्त परिवार की भूमि उसके हिस्सेअनुसार आती है। इस प्रकार आवंटन के समय प्रत्यर्थी-1 श्री मोहन विवादित आराजी के आवंटन का पात्र नहीं था। प्रत्यर्थी संख्या-1 श्री मोहन ने विवादित आराजी का आवंटन तथ्यों को छुपाते हुए प्राप्त किया है। आवंटन अपात्र व्यक्ति को किये जाने के कारण आवंटन आदेश प्रारम्भ से ही शुन्य है।

न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2015(2) पेज 790 में इस न्यायालय में उपरोक्त मत के सम्बन्ध में निम्न निष्कर्ष विनिश्चित किया है-

राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजन हेतु भूमि का आवंटन), नियम, 1970 - नियम 14(4)-आवंटन निरस्तीकरण का आदेश-राजस्व अपील प्राधिकारी ने इसे अपास्त किया-भूमि का आवंटन वर्ष 1968 में किया लेकिन रेस्पोंडेंट नं.1 भूमिहीन व्यक्ति नहीं था-तात्त्विक तथ्यों को छिपाकर आवंटन प्राप्त किया-जोहड़ पायतन की भूमि प्रश्नगत भूमि से चिपती हुई थी-आवंटन को निरस्त करने हेतु मयाद नहीं-निर्णित, आदेश अपास्त किया।

इसी प्रकार आरआरटी 2018-19 (Supp.) पेज 338 में माननीय न्यायालय ने निष्कर्ष विनिश्चित किया कि-

राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजन हेतु भूमि का आवंटन), नियम, 1970 - नियम 14(4)-आवंटन रद्द किया-राजस्व अपील प्राधिकारी ने आदेश पुष्ट किया - 35 वर्ष से भी अधिक के बाद आवंटन रद्द किया-गलत बलदियत उल्लेख कर आवंटन प्राप्त किया-कपट कारित कर एवं तथ्य छिपाकर आवंटन प्राप्त किया-निर्णित, आवंटन रद्द के आदेश में विधिक त्रुटि नहीं है।

यहां यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 की कार्यवाही में तहसीलदार झाड़ोल से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार झाड़ोल से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 06.02.2020 के साथ संलग्न मौका पर्चा अनुसार आ.न. 880/330 रकबा 0.800 हैक्टेयर वर्तमान में खाली पड़ी होकर किसी का भी कब्जा काश्त नहीं है। ऐसी स्थिति में यह प्रकट भी होता है कि कथित आवंटित भूमि पर श्री मोहन द्वारा कभी काश्त नहीं की गई जिससे वह खातेदारी अधिकार पाने का हकदार नहीं होता है। उसके द्वारा निर्धारित शर्तों की पालना नहीं की गई जो खातेदारी अधिकार प्रदान करने की कार्यवाही की वैधता पर प्रश्नचिन्ह है। उक्त मौका रिपोर्ट से

यह स्पष्ट है कि आवंटित भूमि वर्तमान में किसी का कब्जा नहीं है, न ही अपीलार्थीगण एवं न ही प्रत्यर्थी-1। ऐसों में सभी पक्षकारों द्वारा विवादित भूमि पर कब्जे के कथन असत्य होकर खारिज किये जाते हैं।

बहस के दौरान प्रत्यर्थी-1 के अधिवक्ता ने आक्षेप उठाया है कि आवंटन के 10 वर्ष पश्चात नियमानुसार गैरखातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, इस कारण भी उनका आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। खातेदारी प्राप्त होने के पश्चात् आवंटन निरस्त करने के सम्बन्ध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 (1) में दिनांक 26-3-97 को संशोधन करके नवीन प्रावधान धारा 63(1)(ix) में निम्न प्रकार किये हैं-

63 (1) - The interest of tenant in his holding or a part thereof, as the case may be, shall be extinguished.

(ix) - If the allotment of land is cancelled or the land is ordered to be resumed under the provisions of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Rajasthan Act No- 15 of 1956) or rules framed thereunder or under any other law for the time being in force.

इन नई धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में संशोधन करने हेतु जो बिल प्रस्तुत किया था, उसके उद्देश्य एवं कारण निम्न प्रकार हैं-

“The state Government constituted a one man Enquiry Commission headed by Justice B.P. Beri, under the provisions of Commission of Enquiry Act, 1952 in the year 1978. The Commissioner was requested to recommend measures including changes of law for quashing the illegal, irregular, improper orders and removing the mischief of such orders and for preventing misuse of power, recurrence of abuse of authority or malpractice.

In number of cases the Commission suggested to cancel the allotment made in favour of such persons who were not eligible, landless and bonafide agriculturist and minor at the time of allotment in order to set at rest all irregularities committed at the time of allotment, the State Government decided to cancel such allotment, many among such allottees have acquired khatedari rights, and in such cases, tenancies cannot be extinguished by mere cancellation of the allotment order.

Section 63 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Act No. 3 of 1955) deals with the extinction of tenancies on the eventualities and things specified therein. By adding a new clause (ix) in sub-section (1) of section 63 of the Act, the implementation of Beri Commission Report in individual cases can be ensured. By this new provision as and when the allotment of land is cancelled, the acquired khatedari rights would also be extinguished automatically. In order to make specific provision for extinction of tenancies in such cases, clause (ix) is proposed to be added to sub-section (1) of section 63 of the Act. Opportunity has also been availed to amend clause (ii) of sub-

section (1) of section 63 so as to substitute the reference of law relating to land acquisition.”

न्यायिक दृष्टान्त 1998 आर.आर.डी. पेज 589 में धारा 63(1)(ix) के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन कर आवंटन आदेश को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के पश्चात् भी निरस्त किया जा सकता का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। उक्त निर्णय में निम्न निष्कर्ष विनिश्चित किया है-

Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules, 1970 Rule 14(4)- Rajasthan Tenancy Act, Section 63(1) (ix) - Allotment cancelled on complaint by Collector- Order upheld in appeal by RAA-Appeal-Held, allottee obtained allotment showing himself landless when he is a recorded khatedar of 75 bighas Barani III land as per Jamabandi of St. 2023-26-Khatedari rights obtained after 10 yrs.-Allotment cancelled in view of amended Sec. 63(1)(ix) of R-T- Act newly added on 26-3-97 Concurrent findings of the courts below, held justified and confirmed.

उपरोक्त के अनुसार प्रकरण पर विचार करने से स्पष्ट होता है कि आवंटन वर्ष 1984 में होने वाले प्रत्यर्था-1 श्री मोहन के हिस्से को धारित संयुक्त परिवार की 27½ बीघा 03 बिस्वा भूमि उसके श्री अम्बावा पिता नाथा के नाम खातेदार हक से दर्ज रेकॉर्ड थी, तो वह भूमिहीन काश्तकार नहीं था, उसने कपट कारित कर इस तथ्य को प्रार्थना पत्र में उल्लेखित नहीं किया अन्यथा उसके हिस्से की भूमि का उल्लेख होने से उसे विवादग्रस्त आराजी आवंटित नहीं की जा सकती थी। आवेदक प्रत्यर्था-1 श्री मोहन द्वारा आवंटन प्रार्थना पत्र पेश करने में छल किया है व तथ्यों को छुपाया है। ऐसी दशा में उपरोक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांत के दृष्टिगत आवंटन निरस्त किया जा सकता है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर ने प्रार्थना पत्र धारा-14(4) अन्तर्गत कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 का खारिज करने में उक्तानुसार तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि कारित की है एवं अपीलान्त यह साबित करने में सफल रहा है कि हस्तगत आवंटन धोखा देकर या गलत बयानी करके हुआ है। अधिवक्ता प्रत्यर्था-1 श्री मोहन द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने के कारण पूर्णरूपेण चस्पा नहीं होते हैं जबकि और अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर चस्पा होते हैं।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपील अपीलान्त आवंटन निरस्ती की दाद तक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.02.2020 अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्था-1 श्री मोहन के पक्ष में किया गया आलौच्य आवंटन निरस्त किया जाकर आवंटित भूमि पुनः विलानाम सरकार दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार झाडोल को पालना बाबत लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर